योजनाओं का लोगों को जल्दी और समुचित लाभ मिले : हरिभाऊ बागड़े

- जयपुर जिले की समीक्षा बैठक में शिक्षा, कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन की सराहना की
- राजस्थान देव धर्म, गौ सेवा से जुड़ी आध्यात्मिक संस्कृति का सभ्य प्रदेश : राज्यपाल

राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने शुक्रवार को कलेक्ट्रेट में जयपुर जिले की समीक्षा बैठक को संबोधित किया।

जयपुर। राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने केंद्र और राज्य सरकार की लाभकारी योजनाओं का लोगों को जल्दी और समुचित लाभ दिए जाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि जरूरतमंद की पहचान कर पूर्ण पारदर्शिता से योजनाओं का लाभ आम जन को मिले। उन्होंने विभिन्न योजनाओं की समीक्षा करते हुए कहा कि जयपुर में केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के साथ रास्ता खोलने का अभियान, डेयरी और शिक्षा क्षेत्र में महती काम हुए हैं। ये अनुकरणीय हैं। उन्होंने खेती में रसायनों के उपयोग से कैंसर जैसे होने वाले भयावह रोगों के प्रति काश्तकारों को जागरूक करते हुए प्राकृतिक खेती पर ध्यान देने की आवश्यकता जताई। उन्होंने नई शिक्षा नीति के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर देते हुए कहा कि बच्चों की बौद्धिक क्षमता और बढ़ाई जाए। प्राथमिक और उच्च प्राथमिक शिक्षा सीखने की नींव हैं। इसमें सिखाने की व्यावहारिक पद्धितयों पर विशेष ध्यान दिया जाए।

राज्यपाल ने कहा कि लॉर्ड मैकाले द्वारा पारंपरिक भारतीय शिक्षा को बदल कर ऐसी शिक्षा व्यवस्था देश में लागू की गई जिससे हमारे नैतिक मूल्य और प्रामाणिकता पर प्रहार हुआ। उन्होंने कहा कि स्कूल स्तर से ही अब ऐसे प्रयास हों कि बच्चे प्राचीन ज्ञान की हमारी समृद्ध परंपरा से जुड़ सकें।

राज्यपाल शुक्रवार को कलेक्ट्रेट में जिले की समीक्षा बैठक में संबोधित कर रहे थे। उन्होंने काश्तकार, गरीब और वंचित वर्ग के लोगों के हित को ध्यान में रखते हुए विकास योजनाओं का आंकड़ों में ही नहीं व्यावहारिक रूप में क्रियान्वयन किए जाने पर जोर दिया। उन्होंने दुग्ध संग्रहण के अंतर्गत पशुपालकों के जीवन स्तर में सुधार हेतु और प्रयास किए जाने की आवश्यकता जताई।

राज्यपाल ने पंच गौरव के अंतर्गत जयपुर जिले में कबड्डी के खेल मैदान विकसित करने के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि यह प्रेरणादायक हैं। दूसरे जिलों में भी स्थानीय खेलों को बढ़ावा देने किए ऐसे कार्य होने चाहिए। उन्होंने रास्ता खोलो अभियान के तहत ग्रेवल सड़कों के निर्माण और वहां गांव की प्रतिभाशाली बेटियों के नाम से पिलर बनाने को महत्वपूर्ण बताया।

बैठक में बताया गया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत वर्ष 2023-2024 तक जिले में 12789 आवासों की निर्माण किया गया है। राज्यपाल ने निर्मित आवासों की समीक्षा करते हुए इनमें अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग के लोगों को इस योजना से अधिकाधिक लाभान्वित करने पर जोर दिया। उन्होंने केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, स्वामित्व योजना के तहत पट्टे वितरण, स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय निर्माण, बायोगैस प्लांट निर्माण और गांवों में स्वच्छता के लिए हो रहे कार्यों की विशेष रूप से समीक्षा की। उन्होंने कहा कि स्वच्छता के लिए योजनागत कार्य किए जाने के साथ आम जन को स्व प्रेरणा से स्वच्छता की आदत डालने हेतु जागरूक भी किया जाए।

बागडे ने पीएम स्वनिधि के तहत रेडी वालों, कमजोर आय वर्ग के लोगों को स्व उद्योग के लिए प्रोत्साहित करने, कौशल विकास के तहत युवाओं को अधिकाधिक प्रशिक्षित कर उनकी विकास में सहभागिता सुनिश्चित करने पर जोर दिया। राज्यपाल के सचिव डॉ. पृथ्वी भी इस दौरान उपस्थित रहे। आरंभ में जिला कलेक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने विभिन्न विकास और कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन के बारे में विस्तार से बताया।

प्रदेश में कोविड के 15 नए केस सामने आये

जयपुर। प्रदेश में कोरोना वायरस एक बार फिर चिंता का कारण बनता रहा है। शुक्रवार को प्रदेश में कोविड-19 के 15 नए मामले सामने आए हैं। विभिन्न चिकित्सा संस्थानों से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार, जयपुर एक बार फिर हॉटस्पॉट के रूप में उभर रहा है। वर्तमान में 13 मरीज अस्पतालों में भर्ती हैं। इनमें से अधिकतर जयपुर के साकेत, जेके लोन, राजस्थान, गुप्ता अस्पताल और एम्स जोधपुर में इलाज चल रहा हैं।

प्रदेश में कोविड-19 के केसों की बात की जाए तो सबसे अधिक मामले जयपुर में है, शुक्रवार को 8 नए मरीज मिले हैं। इनमें 64, 56, 33, 27, 36, 58, 21, और 57 वर्षीय पुरुष व महिलाएं शामिल हैं। वहीं बीकानेर से 3 मरीजों में 12 वर्षीय बालक, 74 वर्षीय महिला, और 50 वर्षीय पुरुष शामिल है। इसी प्रकार से उदयपुर से 2 मरीज, 78 और 25 वर्षीय पुरुष, बालोतरा से 7 वर्षीय बालक की पुष्टि हुई है। इस प्रकार कुल 15 मामलों में से अधिकांश बी-लाल लैब (5) व एसपीएमसी बीकानेर (3) से रिपोर्ट हुए हैं। अन्य रिपोर्टिंग संस्थानों में एम्स जोधपुर, आरएनटी, एसएमएस, आरयूएचएस, जीएमसी उदयपुर, आणविक शामिल हैं।

मेडिकल कॉलेजों के अस्पतालों का सघन निरीक्षण

जयपुर। प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेजों और संबद्ध 81 अस्पतालों का शुक्रवार को सघन निरीक्षण किया गया। इस दौरान अस्पतालों में साफ सफाई, बिजली उपकरणों की स्थिति और भवनों की स्थिति जांची गई। इसके लिए कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय की ओर से 5-5 अधिकारियों की 33 टीमों का गठन किया गया था। सभी टीमों ने आज निरीक्षण कर तय फॉर्मेट के अनुसार जांच रिपोर्ट बनाई। अब इस रिपोर्ट के आधार पर मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में सुधार करवाए जाएंगे।

राज्यपाल हरिभाऊ बागडे से शुक्रवार को उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने राजभवन में मुलाकात की। इस दौरान दोनों ने विभिन्न विषयों पर चर्चा की। राज्यपाल बागडे से उनकी यह शिष्टाचार भेंट थी।

भाजपा के डेढ साल कांग्रेस के पांच सालों पर भारी : संजय शर्मा

जयपुर। वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री संजय शर्मा ने नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के बयान पर पलटवार किया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के दिल्ली प्रवास पर की गई टिप्पणी का वन मंत्री ने कड़ा जवाब दिया है। संजय शर्मा ने कहा कि टीकाराम जूली ही नहीं, पूरी कांग्रेस राजस्थान के विकास से घबरा गई है। जो लोग पांच साल तक आपस में लडते रहे, एक दूसरे को नीचा दिखाते रहे, महीनों तक होटलों में रहे, उन्हें डबल इंजन सरकार का महत्व कैसे पता होगा। दरअसल राज्य के उपचुनावों में हुई करारी हार से कांग्रेस उबर नहीं पाई है। हताशा के साथ ही कांग्रेस के नेता आपसी होड में अनर्गल बयान जारी कर रहे हैं।

'शेल्टर होम से बाहर निकले युवाओं को पहचान का संकट'

- हाईकोर्ट ने लिया प्रसंज्ञान, केन्द्र सरकार, मुख्य सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, अलवर कलेक्टर, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अलवर और यूनिसेफ के प्रदेश कार्यालय को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने वयस्क होने के बाद शेल्टर होम को छोडने वाले युवाओं के लिए कोई प्रावधान नहीं होने पर स्वप्रेरणा से प्रसंज्ञान लिया है। इसके साथ ही अदालत ने केन्द्र सरकार, मुख्य सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, अलवर कलेक्टर, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अलवर और यूनिसेफ के प्रदेश कार्यालय को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। अदालत ने केन्द्र सरकार के बाल विकास विभाग और राज्य के मुख्य सचिव से रिपोर्ट पेश कर बताने को कहा है कि ऐसे युवाओं के कल्याण के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं। जस्टिस अनूप कुमार ढंड ने यह आदेश प्रकरण में स्वप्रेरित प्रसंज्ञान लेते हुए दिए। अदालत ने अलवर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव और कलेक्टर को स्थानीय बालिका गृह का दौरा कर जांच करने को कहा है कि वहां अनुदान क्यों रोका गया है। अदालत ने कहा कि सही नीतियों से न केवल इन युवाओं को जीवित रहने, बल्कि फलने-फूलने के लिए सशक्त बनाया जा सकता है। आज हम इन्हें राहत देकर न केवल अपनी सामाजिक जिम्मेदारी पूरी करेंगे, बल्कि इनके भविष्य का भी निर्माण करेंगे।

अंजन कुमार का नाम एकल सेवारत महंत के तौर पर अंकित करने पर स्टे

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने अतिरिक्त जिला न्यायालय क्रम-4 महानगर द्वितीय के उस आदेश पर यथास्थिति के आदेश दिए हैं, जिसके तहत अदालत ने गोविंद देवजी मंदिर के एकल सेवारत महंत के रूप में मृतक प्रद्युम्न कुमार गोस्वामी के स्थान पर गोस्वामी अंजन कुमार का नाम अंकित करने को कहा है। जस्टिस गणेश राम मीणा की एकलपीठ ने यह आदेश अंजन कुमार के भाई ओथेश कुमार की याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए। याचिका में अधिवक्ता सुखदेव सिंह सोलंकी ने अदालत को बताया कि निचली अदालत ने लोक न्यास अधिनियम के प्रावधानों के तहत ज्येष्ठाधिकार के उत्तराधिकार का तरीका होने होने के आधार पर अंजन कुमार का नाम एकल सेवायत महंत के रूप में उनके स्वर्गवासी पिता के स्थान पर अंकित करने को कहा था। अंजन कुमार ने निचली अदालत में यह प्रार्थना पत्र लोक न्यास अधिनियम की धारा 41 व 43 के तहत पेश किया था। जबकि इन धाराओं में कार्यवाहक प्रन्यासी नियुक्त करने का प्रावधान है ना की एकल सेवायत महंत। इसके अलावा याचिकाकर्ता के पिता प्रद्युम्न कुमार गोस्वामी ज्येष्ठाधिकार के आधार पर एकल सेवायत महंत बने थे। वहीं बाद में उत्तराधिकार अधिनियम लागू हो गया था। ऐसे में ज्येष्ठाधिकार परम्परा समाप्त हो गई और उत्तराधिकार अधिनियम के तहत प्रद्युम्न कुमार के तीनों उत्तराधिकारी समान रूप से सेवायत महंत के हकदार को गए।

देवनानी आज हनुमानगढ़ और बीकानेर जाएंगे

जयपुर। विधानसभाध्यक्ष वासुदेव देवनानी 31 मई से 2 जून तक हनुमानगढ़ और बीकानेर की यात्रा पर रहेंगे। देवनानी दोनों जिलों में अनेक कार्यक्रमों में भाग लेंगे। देवनानी हनुमानगढ में 31 मई को खुशालदास विश्वविद्यालय के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण करेंगे। हनुमानगढ के नोहर के सिंधी बाजार में 1 जून को शहीद हेमू कालानी की मूर्ति का अनावरण करने के साथ ही शहीद हेमू कालानी चौक का उद्घाटन करेंगे।

34 गीगावाट सौर क्षमता स्थापित करके राजस्थान की पूरे देश में सर्वाधिक अक्षय ऊर्जा क्षमता : हीरालाल नागर

- राजस्थान को बैटरी ऊर्जा भंडारण के लिए राष्ट्रीय केंद्र बनाया जायेगा

जयपुर के क्लार्क्स आमेर होटल में एनर्जेटिका इंडिया पत्रिका द्वारा आयोजित रीकनेक्ट कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने संबोधित किया।

जयपुर। जयपुर के क्लार्क्स आमेर होटल में एनर्जेटिका इंडिया पत्रिका द्वारा आयोजित रीकनेक्ट कार्यक्रम में मुख्य अतिथि ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने कहा कि राजस्थान वर्तमान में स्थापित सौर क्षमता के मामले में भारत में सबसे आगे है, जिसमें 34 गीगावाट पहले से ही चालू है। राज्य में देश में सबसे अधिक अक्षय ऊर्जा क्षमता है, जिसमें सौर ऊर्जा में 142 गीगावाट और पवन ऊर्जा में 284 गीगावाट तक की क्षमता है।

ऊर्जा मंत्री ने कहा कि पिछले डेढ़ साल में ही हमने 10,772 मेगावाट अक्षय ऊर्जा क्षमता जोड़ी है। एकीकृत ऊर्जा नीति के तहत हमारा लक्ष्य 2030 तक 125 गीगावाट हासिल करना है। यह 500 गीगावाट के राष्ट्रीय लक्ष्य के अनुरूप है, जिसमें राजस्थान प्रमुख भूमिका निभा रहा है। राजस्थान भारत की अक्षय ऊर्जा क्रांति के केंद्र में है। आज, देश भर के निवेशक सौर और अन्य स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्रों में अवसरों के लिए राजस्थान की ओर देख रहे हैं। पिछले डेढ़ साल में राज्य सरकार ने सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए हरसंभव कदम उठाए हैं जिसमें एक समर्पित ऊर्जा नीति शुरू करना भी शामिल है। उन्होंने आगे कहा, हमारे सीमावर्ती क्षेत्रों में प्रचुर मात्रा में भूमि है, हमने भूमि आवंटन नीति को सरल बनाया है ताकि निवेशक आ सकें, निवेश कर सकें और राजस्थान के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा कर सकें। इससे हमें अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने और भविष्य में अन्य राज्यों को बिजली देने में मदद मिलेगी।

ऊर्जा मंत्री ने कहा कि राजस्थान को बैटरी ऊर्जा भंडारण के लिए राष्ट्रीय केंद्र बनाया जायेगा, इसका लक्ष्य केंद्र सरकार के सहयोग से 5,000 मेगावाट भंडारण क्षमता हासिल करना है। उन्होंने निवेशकों से ग्रिड स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए सौर प्रतिष्ठानों के साथ कम से कम 25-30 प्रतिशत बैटरी भंडारण को एकीकृत करने का आग्रह किया। रीकनेक्ट कार्यक्रम में सौर पीवी विनिर्माण, ऊर्जा भंडारण अपनाने, कृषि को सौर ऊर्जा से जोड़ने, विनियामक सुधार और वाणिज्यिक, औद्योगिक और आवासीय छत विकास पर चर्चा हुई। कार्यक्रम को ल्यूमिनस पावर टेक्नोलॉजीज, गौतम सोलर, ओसवाल सोलर, आनंद ई-बीम केबल्स, आत्मनिर्भर सोलर, पीओएम पावर, स्टैंडर्ड स्काईटॉप राइज, सोलरयान और कॉस्मिक पीवी सहित प्रमुख कम्पनियों से समर्थन मिला है। राजस्थान सोलर एसोसिएशन भी इस आयोजन में भागीदार है। रीकनेक्ट शिखर सम्मेलन के जयपुर संस्करण ने नेटवर्किंग और ज्ञान साझा करने के लिए एक प्रमुख मंच के रूप में कार्य किया, जिसमें सरकारी अधिकारियों और उद्योगपतियों सहित विभिन्न हितधारकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया।

नम्बर मिलाइए
9587884433
सिर्फ एक फोन कॉल पर विज्ञापन घर बैठे बुक करायें।

सही जन्म तारीख संबंधित सूचना
मैं, Lt. Col. Dalpat Singh (Retd) दलपत सिंह पुत्र श्री रामसिंह, निवासी- सी-46-ए, सरोजनी मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर राज. का हूं। श्रीमती विना सिंह (Veena Singh) मेरी पत्नी है जिसकी जन्म दिनांक मेरे आर्मी सर्विस रिकॉर्ड में गलती से 14.11.1949 अंकित है, जबकि उसकी सही जन्म दिनांक 14.11.1951 है तथा उसके समस्त अन्य दस्तावेजातों जैसे- जन्म प्रमाण पत्र, शैक्षणिक योग्यता, आधार कार्ड व पासपोर्ट इत्यादि में भी उसकी जन्म दिनांक 14.11.1951 अंकित है जो कि सही एवं सत्य है एवं मेरे विभाग द्वारा उक्त संबंध में इश्तिहार पत्रिका के प्रकाशन चाहने पर मेरे द्वारा जरिए उक्त स्पष्टीकरण मेरी पत्नी की सही जन्म तारीख के संदर्भ में दिया जा रहा है।

आम-सूचना सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि एक सम्पत्ति मकान एम.आई.जी. प्रथम नम्बर 2/105, राजस्थान आवासन मण्डल की स्काउट फिल्ड योजना हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, आलनपुर सवाई माधोपुर में स्थित है, जिसका कुल क्षेत्रफल 90.00 वर्गमीटर है, जिस पर मेरी अभिभाष्य इन्द्रा शर्मा के पति अशोक कुमार शर्मा ने एच.डी.एफ.सी. बैंक लिमिटेड से ऋण लिया हुआ था तथा उक्त सम्पत्ति के समस्त असल दस्तावेज एच.डी.एफ.सी. बैंक लिमिटेड में रहन (Martgage) कर रखे है। यह कि इन्द्रा शर्मा के पति अशोक कुमार शर्मा का दिनांक 20.12.2024 को स्वर्गवास हो गया तथा उक्त सम्पत्ति के पेटे लिये हुये ऋण की पूर्ण अदायगी एच.डी.एफ.सी. बैंक लिमिटेड को की जा चुकी है, इसलिये अब मेरी अभिभाष्य उक्त सम्पत्ति के असल दस्तावेजों को प्राप्त करना चाहती है तथा उक्त सम्पत्ति के मूल दस्तावेज मेरी अभिभाष्य इन्द्रा शर्मा को दिए जाते है, यदि इस सम्बन्ध में किसी भी व्यक्ति, संस्था, फर्म इत्यादि को किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति है तो मय दस्तावेज प्रकाशन तिथी से सात दिवास तक की अवधि में मेरे कार्यालय में सम्पर्क करे। उक्त अवधि गुजर जाने के पश्चात् किसी प्रकार की कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी। सूचित रहे, मो- 18002100018/9460943434
केदार राम, एडवोकेट, मो. 9460943434, 9799170016

उद्घोषणा (इश्तिहार) न्यायालय (राज.)
व्यवहार मिश्रित (मुत्तफरिक) वाद सं. 43/2023
6/24
विषय- उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र प्रोबेट, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन प्राप्त करने हेतु प्रार्थना-पत्र।
प्रार्थी नाम चन्द्र प्रकाश वासवानी पुत्र वादुमल वासवानी जाति सिन्धी
विवाद स्थान बी-18, जे.डी.ए.कॉलोनी, तुलसीदास मार्ग, मालवीय नगर, जयपुर
मृतक पब्लिक प्रॉविडेन्ट फण्ड अकाउन्ट सं. 51089057783 भारतीय स्टेट बैंक शाखा शासन सचिवालय सी-स्कीम जयपुर की सम्पत्ति के विषय में।
पेशी दिनांक- 04/07/2025
सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त प्रार्थी/प्रार्थीगण ने इस न्यायालय में इस आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है कि मृतक, नाम चन्द्र प्रकाश वासवानी पुत्र वादुमल वासवानी जाति सिन्धी निवासी बी-18, जे.डी.ए.कॉलोनी, तुलसीदास मार्ग, मालवीय नगर, जयपुर का उत्तराधिकारी स्वीकार कर उसके पक्ष में उत्तराधिकार प्रमाण पत्र, प्रोबेट, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, प्रदान किया जावें।
अतः उक्त प्रार्थना-पत्र की स्वीकृति में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो वह इस न्यायालय में दिनांक 04 माह 07 सन् 2025 को न्यायालय में उपस्थित होकर अपनी आपत्ति प्रमाण सहित प्रस्तुत करें। उक्त दिवस के पश्चात् कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी।
आज दिनांक 07 माह 05 सन् 2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रांकन से जारी किया गया।
आज्ञा से-रीडर
अपर जिला एवं सैंशन न्यायाधीश
मोहर अदालत संख्या-11, जयपुर महानगर प्रथम, मुख्यालय सांगानेर

उद्घोषणा (इश्तिहार) न्यायालय (राज.)
व्यवहार मिश्रित (मुत्तफरिक) वाद सं. 44/2023
05/24
विषय- उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र प्रोबेट, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन प्राप्त करने हेतु प्रार्थना-पत्र।
प्रार्थी वादुमल वासवानी पुत्र हासानन्द वासवानी जाति सिन्धी
विवाद स्थान बी-18, जे.डी.ए.कॉलोनी, तुलसीदास मार्ग, मालवीय नगर, जयपुर
मृतक बैंक खाता सं. 0113010008774 बैंक ऑफ बडौदा शाखा-बाम्बे हाउस, एम.आई.रोड, जयपुर, बचत खाता सं. 51101503647 भारतीय स्टेट बैंक (पूर्व नाम स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर, शाखा मालवीय नगर, जयपुर की सम्पत्ति के विषय में।
पेशी दिनांक- 04/07/2025
सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त प्रार्थी/प्रार्थीगण ने इस न्यायालय में इस आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है कि मृतक, नाम वादुमल वासवाना पुत्र हासानन्द वासवानी जाति सिन्धी निवासी बी-18, जे.डी.ए.कॉलोनी, तुलसीदास मार्ग, मालवीय नगर, जयपुर का उत्तराधिकारी स्वीकार कर उसके पक्ष में उत्तराधिकार प्रमाण पत्र, प्रोबेट, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, प्रदान किया जावें।
अतः उक्त प्रार्थना-पत्र की स्वीकृति में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो वह इस न्यायालय में दिनांक 04 माह 07 सन् 2025 को न्यायालय में उपस्थित होकर अपनी आपत्ति प्रमाण सहित प्रस्तुत करें। उक्त दिवस के पश्चात् कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी।
आज दिनांक 07 माह 05 सन् 2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रांकन से जारी किया गया।
आज्ञा से-रीडर
अपर जिला एवं सैंशन न्यायाधीश
मोहर अदालत संख्या-11, जयपुर महानगर प्रथम, मुख्यालय सांगानेर

नाम परिवर्तन

मेरा नाम प्रकृति कापडी जो कि 10वीं की मार्कशीट में टंडेल प्रकृतिबहेन मोहनभाई हो गया है। सही नाम प्रकृति कापडी जो आधार कार्ड इत्यादि में भी दर्ज है। प्रकृति कापडी व टंडेल प्रकृतिबहेन मोहनभाई मेरे स्वयं के ही नाम हैं। भविष्य में मुझे प्रकृति कापडी नाम से ही जाना जावे।

I Narain Lal Modi S/o Sanwar Lal Modi Add-20,Nareda Colony, Jharkhand mode, Khatipura, Jaipur, Jhotwara, Raj-302012, I Have Changed my Name From Narain Lal Modi to Narayan Lal Modi in Future I Should Be Known By This Name.

I Shushila KANWAR legally wedded spouse of Army no 2876160- 15 Raj Rif Sepoy Late Vikram pal singh S/O Aditya pal Singh resident of plot no 5 Jai Vihar colony Jaipur that I have changed my name which is wrongly entered my husband service record from SHUSHILA KANWAR To SUSHILA SINGH vide affidavit dated 28 may 2025 before district notary tunga bassi Jaipur

खोया पाया

मेरे मकान नम्बर- 80/212 , सैक्टर - 8, प्रताप नगर, सांगानेर, जयपुर का ग्रीन स्लीप+डिमांड लेटर+पैसों की जमा रसीद +NOC और आवंटन पत्र कहीं खो गया मिलने पर सूचित करें धर्म दास- 9269999309

प्लॉट नंबर A-725, स्कीम- सूर्य नगर -A, सूरजपुरा-टिटोली, तहसील चाकसू, जिला जयपुर का ओरिजिनल पजेशन लेटर बड़ी चौपड़ के पास कहीं खो गया है। मिलने पर सूचित करें अजय शर्मा 8107987070

जे.डी.ए की योजना ट्रांसपोर्ट नगर के प्लाट नं- B2/591 का जे.डी.ए. से जारी मूल आवंटन-पत्र जयपुर मे कही गुम हो गया है सूचित करे अनीता ओला मो. 9468722132

खुदाबादी सोनार को आपरेटिव हाउसिंग सोसायटी लि. की आवासीय योजना- विवेक विहार, जयपुर के भूखण्ड संख्या 133 का सोसायटी द्वारा जारी मूल रसीद कहीं गुम हो गई है। मिलने पर सूचित करें। उर्मिला सिंह मीणा- मोबाईल नम्बर 9460593040

उत्तर पश्चिम रेलवे
आवश्यक सूचना
सर्व सम्बन्धित को सूचित किया जाता है कि कानोता-खातीपुरा स्टेशनों के मध्य फाटक संख्या- 209 (भटेशरी फाटक) KM 220/5-6 व फाटक संख्या - 210 (भूरतल फाटक) KM 221/7-8 को दिनांक 31.05.2025 से दिनांक 30.06.2025 तक LHS निर्माण कार्य हेतु रोड यातायात के लिऐ पूर्णरुप से बन्द रहेगा। फाटक 209 के रोड यूजर LHS-208 व फाटक 210 के रोड यूजर गोनेर ROB का उपयोग कर सकते है। असुविधा के लिए खेद हैं।
636/CR-25 वरि. मं. इन्जी. (मुख्या.) जयपुर
हमें /NWRailways NWRailways_ पर फॉलो करें

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी नगर पालिका चाकसू जिला जयपुर
नियम 6(7) देखिए
क्रमांक : 1634 दिनांक : 30.5.2025
लोक सूचना
APNATVE FUTURE ZONE SHIKSHAN SANSTHAN THROUGH SURGYAN SINGH S/O GUMAN SINGH निवासी ग्राम बडोदिया तह. कोटखावदा जिलया जपुर राज. ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन (शैक्षणिक प्रयोजन) के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारों के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात् :-

जिला सहित तहसील का नाम	ग्राम का नाम	खसरा नं.	रकबा हैक्टर	क्षेत्र
तहसील चाकसू	ग्राम भगवानपुरा	516	0.0400	कुल किता 03
	पटवार हल्का	518	0.2400	कुल रकबा 0.3800
	रामनिवास	522/1	0.1000	हैक्टर

इसलिए इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 07 दिन के भीतर-भीतर किसी कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दौरान अद्योहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समर्थख दस्तावेजों के साथ अपने अक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा। उपर्युक्त नियत समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तद्नुसार मामले का निपटारा किया जायेगा। यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 30.5.2025 को जारी की गयी।
प्राधिकृत अधिकारी, नगरीय क्षेत्र चाकसू

कार्यालय नगर निगम, कोटा उत्तर (राज0)
क्रमांकः-ननिको(उ.)/जन0स्वा0/2025/340-352 दिनांक : 26.05.2025
-: ई-निविदा सूचना :-
नगर निगम कोटा उत्तर क्षेत्र के नवीन सम्मिलित कैथून एवं उसके साथ सम्मिलित गांव खेडारामपुरा व भीमपुरा आदि गांव की आबादी एवं विकसित कॉलोनियों तथा उनको जोडने वाले मुख्य मार्गो एवं अन्य मुख्य मार्गो हेतु आवश्यकतानुसार संवेदक के माध्यम से सफाई कार्य हेतु 50 बीट अकुशल श्रमिक की सेवाओं के उपापन के लिए ऑनलाइन बोली। दर संविदा वार्षिक अनुबंध करने वाले पंजीकृत संवेदको से ई-निविदा पद्धति द्वारा ऑन लाईन निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा का प्रकार कार्य की अनुमानित राशि निविदा बेचे जाने, प्राप्त करने, अन्य शर्ते एवं जानकारी निगम वेबसाईट www.kotamc.org, http://sppp.rajasthan.gov.in, http://eproc.rajasthan.gov.in पर देखी जा सकती है।
अनुमानित राशि 54 लाख
1. UBN No. DLB2526WSRC06125
2. NIB No. DLB2526A1813
अति० आयुक्त
राज.संवाद/सी/25/3338 नगर निगम, कोटा उत्तर

नगर निगम ग्रेटर जयपुर
सेक्टर-9 गोखले मार्ग, शिप्रा पथ रोड मानसरोवर जयपुर
क्रमांक :- जसअ/2025/81 दिनांकः 30.05.2025
सार्वजनिक सूचना
राजस्थान मृत सरकारी कर्मचारियो के आश्रितो को अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम 1996 के अनुसार नगर निगम की सेवा मे सेवारत रहते हुए मृतक हुए उनके आश्रित को नियुक्ति देने की कार्यवाही की जानी है। विवरण निम्न प्रकार है :-

क्रं. सं.	मृतक का नाम	पद	मृत्यु दिनांक	मृतक आश्रित के रूप मे नियुक्ति चाहने वाले का नाम	मृतक से सम्बन्ध आश्रित	पता
1	कजोड पुत्र श्री नारायण	सफाई कर्मचारी	03.10.2024	निखिल	पुत्र	रैगरो का मौहल्ला तितरिया रोड चन्दलाई जयपुर

इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी जन सामान्य को मृतक के स्थान पर नियुक्ति चाहने वाले व्यक्ति के सम्बन्ध मे किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो प्रकाशन के सात दिवस के अन्दर-अन्दर कार्यालय मे अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष अपनी-अपनी आपत्ति लिखित मे प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित अवधि मे आपत्ति प्राप्त न होने की दशा मे नियमानुसार नियुक्ति सम्बन्धी कार्यवाही अमल मे लाई जावेगी।
उपायुक्त
मानसरोवर जोन
राज.संवाद/सी/25/3350 नगर निगम ग्रेटर जयपुर

प्रगत संगणन विकास केंद्र
इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार
हमसे जुड़ें
हम भर्ती कर रहें हैं
प्रतिभाओं की खोज
रोमांचक और चुनौतीपूर्ण कार्य के लिए
वैज्ञानिक और तकनीकी पद
परियोजना सहयोगी (नवागत / अनुभवी)
परियोजना अभियंता (नवागत / अनुभवी)
वरिष्ठ परियोजना अभियंता
परियोजना नेतृत्वकर्ता
मॉड्यूल नेतृत्वकर्ता
(न्यूनतम 4 वर्षों का अनुभव)
परियोजना प्रबंधक
परियोजना वितरण प्रबंधक
प्रोग्राम प्रबंधक
ज्ञान सहभागी(नॉलेज पार्टनर)
(न्यूनतम 9 वर्षों का अनुभव)
योग्यता
1. बीई/बीटेक या समकक्ष डिग्री
2. विज्ञान/ कंप्यूटर अनुप्रयोग या प्रासंगिक डोमेन में स्नातकोत्तर डिग्री/एमबीए
3. एम.ई./एम.टेक या समकक्ष डिग्री
4. पीएच.डी.
गैर-तकनीकी पद
परियोजना सहायता स्टाफ / परियोजना अधिकारी (शैक्षिक योग्यता के आधार पर न्यूनतम 0 - 3 वर्ष का अनुभव)
योग्यता
1. स्नातक
2. पोस्ट ग्रेजुएट
3. सीए / एलएलएम/ सीएमए / इंटर सीए
4. प्रासंगिक क्षेत्र में दो साल का पूर्णकालिक एमबीए / प्रासंगिक क्षेत्र में स्नातकोत्तर पेशेवर योग्यता
भारत में विभिन्न स्थलों के लिए
ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि - 20 जून 2025
विस्तृत विज्ञापन और आवेदन करने के लिए www.cdac.in के CAREERS पृष्ठ पर जाएं।
Branding & Communication/CorpHR/C-DAC Pune 2025
ADVT.NO.CORP/JIT/03/2025 Advancing Technology for National Development CORPORATE HRD
CBC 06132/12/0001/2526